

**शिव प्रकाश गुप्त,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।**

सेवा में,

**सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदायकेन्द्र,  
पी.टी. विहार, नई दिल्ली ।**

विद्या 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2005

विषय:- **ग्राम्यांगण पब्लिक स्कूल खेदरगढ़ बाराबंकी को सी०बी०स्त०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी०बी०स्त०ई०** नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत शोशाघटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संभालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौटिल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत स्कूल सर्वेक्षण अथवा निदेश नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से स्वतः केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

28/3/05  
बराबंकी जिला शिक्षा अधिकारी  
बनारस कविकाटी  
शिक्षा अनुभाग-7  
उत्तर प्रदेश शासन

१५१ संस्था के विद्यार्थियों को राजकीय छात्रावास प्राप्त किए जाने पर वे छात्रावासों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों से सम्बन्धित सभी कार्य पूर्ण करने के लिए निर्दिष्ट होंगे।

१५२ कार्यवाहियों की सेवा पूर्ण बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों की अनुमति सेवा-विधित्त का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।

१५३ राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त की गयी आस्था भित्त किये जायेगी संस्था उनका पालन करेगी।

१५४ विद्यालय विचार्य निर्धारित प्रमाणपत्रों में रखा जायेगा।

१५५ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

**10। विद्यालय द्वारा शासनादेश दिनांक 30-11-91 में उचित प्रतिबंधों का तत्सायदी नियमावली/ट्रस्टडीड में समावेश तीन माह में पूर्ण करानिये जायेगे।**

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि कित्ती समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापेक्षित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवनीय,

**शिव प्रकाश गुप्त ।  
संयुक्त सचिव ।**

संशोधन दिनांक तैय्य

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- प्रबंधक, **ग्राम्यांचल पब्लिक स्कूल हैदरगढ़, बाराबंकी।**
- 6- माहें बुक।

Handwritten signature and stamp:  
 (अरविन्द सिंह चित्रांशु)  
 अनुमान अधिकारी  
 शिक्षा अनुभाग-7  
 उत्तर प्रदेश शासन

Handwritten signature and stamp:  
**शिव प्रकाश गुप्त ।  
 संयुक्त सचिव ।**